## नियम 105 : किसी सदस्य को आदेश सुनाने के लिए प्राधिकृत करना

(1) यदि मामले की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ के सदस्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं या वे अपील अधिकरण के सदस्य नहीं रह गए हैं, तो अध्यक्ष यह समाधान हो जाने के पश्चात कि आदेश सम्यक् रूप से तैयार कर लिया गया है तथा मामले की सुनवाई करने वाले सभी सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, किसी अन्य सदस्य को उसकी ओर से आदेश सुनाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) इस प्रकार से प्राधिकृत सदस्य द्वारा सुनाया गया आदेश सम्यक् रूप से सुनाया गया माना जाएगा।

(3) आदेश सुनाने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मामले के आदेश पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि उसने इस नियम में दिए गए अनुसार आदेश सुनाया है।

(4) यदि मामले की सुनवाई करने वाले न्यायपीठ के सदस्यों में से किसी के द्वारा मृत्यु, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता है, तो यह माना जाएगा कि उसे सुनवाई के भाग से मुक्त कर दिया गया है तथा उसे सुनवाई के लिए नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया है।